GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION NO. 427
TO BE ANSWERED ON 3rd FEBRUARY, 2023

CGHS FACILITIES TO AUTONOMOUS INSTITUTIONS

427. SHRI TIRATH SINGH RAWAT:

Will the Minister of **HEALTH AND FAMILY WELFARE be** pleased to state:

(a) whether the Government is not providing facilities of CGHS plastic card and medicine to the employees of Central Government autonomous bodies such as Central Sanskrit University, Shri Lal Bahadur Shastri National Sanskrit University and National Sanskrit University, Tirupati;
(b) if so, the details thereof;
(c) whether the Government is not providing CGHS plastic card and medicine facility to these central autonomous bodies due to financial constraints; and
(d) if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DR. BHARATI PRAVIN PAWAR)

(a) to (d) Central Government Health Scheme (CGHS) is a contributory health scheme primarily meant for central government employees and pensioners. The scheme provides OPD facilities and medicines to the beneficiaries through CGHS Wellness Centres. The Autonomous Bodies/ Statutory Bodies have been issued plastic cards. However, there is also an option of printing a paper card with a beneficiary under CGHS. The Autonomous Bodies/Statutory Bodies registered with CGHS are entitled for availing OPD and Medicine facilities through CGHS Wellness Centres. Further, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies which are not covered under CGHS scheme, have the option to adopt Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 for availing medical facilities or any other medical scheme as chosen by the Autonomous Body/ Statutory Body.

*****

https://www.govtstaff.com

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 427
दिनांक 03 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

स्वायत्त निकायों को सीजीएचएस सुविधा

427. श्री तीरथ सिंह रावत:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरूपति जैसे केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को प्लास्टिक कार्ड और चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं कर रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार वित्तीय बाधाओं के कारण इन केंद्रीय स्वायत्त निकायों को सीजीएचएस प्लास्टिक कार्ड और चिकित्सा सुविधा प्रदान नहीं कर रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (घ): केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस), मुख्य रूप से केन्द्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अंशदायी स्वास्थ्य योजना है। यह योजना सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से लाभार्थियों को ओपीडी सुविधाएं और औषधियां प्रदान करती है। स्वायत निकायों/ सांविधिक निकायों को प्लास्टिक कार्ड जारी किये गए है। हालांकि सीजीएचएस के तहत लाभार्थी के पास एक पेपर कार्ड प्रिंट करने का भी विकल्प है। सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों के माध्यम से सीजीएचएस में पंजीकृत स्वायत निकाय/सांविधिक निकाय ओपीडी और औषधि सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र है। इसके अलावा, जो स्वायत निकाय/ सांविधिक निकाय सीजीएचएस योजना के अंतर्गत नहीं आते है, के पास स्वायत निकाय/ सांविधिक निकाय के द्वारा चुनी चिकित्सा सुविधाओं या कोई अन्य मेडिकल स्कीम का लाभ उठाने के लिए केन्द्र सेवा (मेडिकल अटेंडेंस) नियम, 1944 को अपनाने का विकल्प है।

*****

https://www.govtstaff.com